

राजस्थान सरकार
परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग

क्रमांक: एफ.7(366)परि/नियम/मु0/HSRP/2021/01117/21070 जयपुर, दिनांक: 21/9/2023

आदेश

केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 50 एवं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. - सा.का.नि. 1162 (अ), दिनांक 04.12.2018 सहपठित अधिसूचना संख्या- का.आ.6052 (अ). दिनांक 06.12.2018 सहपठित अधिसूचना संख्या- का.आ. 1018 (अ) दिनांक 25.02.2019 एवं सहपठित अधिसूचना संख्या- सा.का.नि. 604(अ) दिनांक 18. 08.2022 में दिये गये निर्देशों के क्रम में प्रत्येक मोटर वाहन विनिर्माता एवं उनके द्वारा अधिकृत डीलर द्वारा तीसरे पंजीयन चिह्न सहित अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट लगाये जाने की अधिकतम दर मय समस्त प्रभार (With GST + Fitment charge + convenience charge) निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

S.No.	वाहन की श्रेणी	निर्धारित अधिकतम दर (राशि रुपये में)
1	दुपहिया वाहन	425.00
2	तिपहिया वाहन	470.00
3	चौपहिया वाहन (LMV)	695.00
4	मध्यम एवं भारी मोटर यान	730.00
5	ट्रेक्टर एवं कृषि कार्य संबंधी संयोजन	495.00

प्रत्येक मोटर वाहन विनिर्माता एवं उनके द्वारा अधिकृत डीलर्स को निर्देशित किया जाता है कि सहायक उपकरण (Accessories) के एवज में उपर्युक्त अनुसार विभाग द्वारा निर्धारित अधिकतम दर के अतिरिक्त कोई राशि वसूल नहीं की जावेगी।

हय

(कन्हैया लाल स्वामी)
आयुक्त, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग

क्रमांक: एफ.7(366)परि/नियम/मु0/एच.एस.आर.पी./2021/01117 जयपुर, दिनांक: 21/9/2023

21071-77

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

1. वरिष्ठ निजी सहायक, आयुक्त, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग।
2. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय।
3. समस्त अधिकारीगण मुख्यालय।
4. समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।
5. समस्त वाहन विनिर्माता।
6. Chairperson, Federation of Automobile Dealers Associations.
7. नोडल अधिकारी वेबसाइट परिवहन विभाग को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (नियम)